झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–66 / 2020

शुभम जयसवाल उर्फ राजा जयसवाल .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री एस0के0 शर्मा, ए0पी0पी0।

2 / 24.01.2020 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता, भा0दं0वि0 की धारा 392 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दर्ज मुकदमें में एक आरोपी है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा बी0ए0 संख्या 7518 / 2019 में दिनांक 27.08.2019 को पारित आदेश के द्वारा याचिकाकर्त्ता का जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। वर्तमान जमानत आवेदन के द्वारा याचिकाकर्त्ता ने अपने जमानत को मुख्यतः इस आधार पर नवीकरण किया है कि वह दिनांक 18.05.2019 से, अर्थात् आठ महीने से अधिक, न्यायिक हिरासत में है।

विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्त्ता के जमानत हेतु निवेदन का विरोध किया है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता आठ महीने से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने के पक्ष में हूँ। तद्नुसार, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की संतुष्टि पर, एस0टी0 वाद संख्या 443/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि वह विचारण में सहयोग करेगा और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेगा, जब तक कि खास तिथि को उसकी उपस्थिति को विचारण न्यायालय के आदेश द्वारा विशिष्ट रूप से उन्मोचित न किया गया हो, इसकी असफलता पर विचारण न्यायालय याचिकाकर्त्ता के विरूद्ध विधि के अनुरूप उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

(राजेश कुमार, न्याया0)